## राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग — परिवाद पंजीकरण प्रपत्र

### (क) परिवादी का विवरण

1. नाम
2. लिंग ☐ पुरूष ☐ स्त्री
3. पता
4. जिला ☐ राज्य ☐ पिन–कोड ☐

### (ख) घटना का विवरण

1. घटना–स्थल (गावं / शहर / नगर) ☐
2. जिला ☐ राज्य ☐ घटना की तिथि ☐

### (ग) पीड़ित का विवरण

1. नाम ☐ पीड़ितों की संख्या ☐
2. पता ☐
3. जिला ☐ राज्य ☐ पिन–कोड ☐
4. धर्म ☐ (हिन्दू / मुसलमान / सिख / ईसाई / बोद्ध / अन्य)
5. जाति ☐ अनु.जाति ☐ अनु.जनजाति ☐ अन्य पिछड़ा ☐ विशेष पिछडा ☐ सामान्य
6. लिंग ☐ पुरूष ☐ स्त्री 7. उम्र ☐ वर्ष 8. निःशक्त ☐ हां ☐ नहीं

### (घ) तथ्य आरोप–मानव अधिकार उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण

☐

### (ड़) क्या यह सशस्त्र सेना / अर्द्धसैनिक बल के विरूद्ध शिकायत है ? ☐ हां ☐ नहीं

(च) क्या परिवाद से संबंधित शिकायत किसी न्यायालय/राज्य/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/अन्य आयोग में किया गया है ? अगर हां, तो विवरणी –

(छ) सरकारी कर्मी/पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम जिनके विरूद्ध शिकायत है–

(ज) उस अधिकारी/सरकारी विभाग का नाम एवं पता जिसके प्रति उक्त सरकारी कर्मी/पदाधिकारी उत्तरदायी है–

(झ) वांछित सहायता/प्रार्थना, यदि हो तो –

दिनांक :

हस्ताक्षर

## राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर में शिकायत दायर करने हेतु मार्गदर्शिका

1. आयोग में शिकायत पीड़ित या उनके स्थान पर किसी दूसरे के द्वारा दायर की जा सकती है।
2. शिकायत हिन्दी/अंग्रेजी या संविधान के अष्टम सूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में सिर्फ एक प्रति में दर्ज की जा सकती है।
3. शिकायत डाक द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पते पर, फैक्स से दूरभाष संख्या (0141)–2227738 पर अथवा ई–मेल द्वारा rshrc-rj@nic.in पते पर भेजी जा सकती है।
4. शिकायत दायर करने के लिए कोई फीस देय नहीं है।
5. परिवादी सरकारी पदाधिकारी/कर्मी द्वारा मानवाधिकार (क) उल्लंघन/हनन (ख) उल्लंघन को रोकने हेतु बरती गई असावधानी को उजागर करेंगे।
6. आयोग का कार्य–क्षेत्र मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में एक वर्ष के अन्दर दायर परिवाद तक सीमित है।
7. आरोप के संपुष्टि हेतु संलग्न कागजात स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिए।
8. पीड़ित/पीडिता के उम्र, लिंग, धर्म, जाति, राज्य एवं जिला तथा घटना की तिथि का वर्णन शिकायत–पत्र में होना आवश्यक है।
9. **निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त परिवाद उसके शीघ्र निष्पादन में आयोग के लिए सहायक होता है।**
10. निम्न प्रकार की शिकायतें सामान्यतः पोषण योग्य नहीं होतीं– (क) अपठनीय (ख) अस्पष्ट, अज्ञात, छद्मनामी (ग) मामूली या अगंभीर प्रकृति का (घ) मामला जो अन्य राज्य के मानवाधिकार आयोग/अन्य आयोग में लंबित हो (ड़) मानवाधिकार हनन की घटना के एक वर्ष बाद आयोग के संज्ञान में लाया गया हो (च) किसी सरकारी पदाधिकारी के विरूद्ध अगर आरोप नहीं हों (छ) सेवा संबंधी मामले अथवा श्रम/उद्योग से संबंधित विवाद (ज) आरोप अगर मानवाधिकार उल्लंघन के विशिष्टिकरण का न हो (झ) मामला न्यायालय/ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हो (ञ) मामला न्यायादेश/आयोग के निर्णय से आच्छादित हो।
11. **निर्धारित प्रपत्र का उपयोग परिवादी को यथासंभव प्रोत्साहित किए जाने हेतु है एवं निर्देश, सूचना की विविधता दर्शाता है जो परिवाद की प्रक्रिया प्रशस्त करेगा।**
12. संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर ही कार्रवाई आरम्भ हो सकती है।